कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-10.11.2024

विषयः- महिला को गुमराह कर धमकी देकर उसकी शादी करवाने, मानव तस्करी, दुष्कर्म आदि के मुकदमे में वांछित अभियुक्त राकेश कुमार सिंघल को थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ़्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व मे थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-0351/2021 धारा 365,366,370,342,346,506,376 भा0द0वि0 थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी से संबंधित नामजद वांछित अभियुक्त राकेश कुमार सिंघल पुत्र बाबूलाल निवासी जगनेर थाना जगनेर जनपद आगरा को आज दिनांक-10.11.2024 को समय करीब 10.30 बजे कचहरी गेट नं0-1 कमि0 वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी सम्बन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक-21.08.2021 को वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने प्रतिवादिगणों द्वारा धोखे से गुमराह कर धमकी देकर वादिनी मुकदमा/पीड़िता की कोर्ट मैरिज करवाने, 02 लाख रु0 मे बेंचने, बंधक बना कर रखने, डराने-धमकाने व उसके साथ जबरदस्ती करने तथा जान से मारने की दमकी देने के संबंध मे लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना सारनाथ मे सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 जमुना प्रसाद तिवारी द्वारा संपादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राकेश कुमार सिंघल पुत्र बाबूलाल निवासी जगनेर थाना जगनेर जनपद आगरा , उम्र करीब 49 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- कचहरी गेट नं0-1 कमि0 वाराणसी से, दिनांक-10.11.2024 को समय करीब 10.30 बजे।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 0351/2021 धारा 365,366,370,342,346,506,376 भा0द0वि0 थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1- उ0नि0 जमुना प्रसाद तिवारी थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

2- हे0का0 अरशद खाँ थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

3- हे0का0 सुजीत पाण्डेय थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।